

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन**  
**नवा रायपुर अटल नगर**

क्र.- FINACC/1782/2025-FINANCE/संसा./ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/10/2025  
प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव(स्वतंत्र प्रभार)  
छत्तीसगढ़ शासन  
समस्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर


विषय:- just-in-time release of centrally sponsored schemes funds through SNA  
SPARSH- guidelines for handling of contribution received from local  
bodies/NGOs/Parastatal Bodies- reg.

-----000-----

विषयांतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक F.No.  
01(06)PFMS/2022, दिनांक 16.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से SNA SPARSH अंतर्गत  
State's local bodies/NGOs/Parastatal Bodies हेतु दिशा-निर्देश दिए गये हैं।


2/ उक्त के दृष्टिगत आपके विभाग में इससे सम्बंधित संचालित CSS योजना एवं इसके अंतर्गत  
local bodies/NGOs/Parastatal Bodies एवं इनके अंशदान प्रतिशत की जानकारी दिनांक  
15.10.2025 तक इस विभाग को प्रेषित किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार।

  
(निखिल कुमार अग्रवाल)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग

प्रतिलिपि- FINACC/1782/2025-FINANCE/संसा./ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/10/2025

1. सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निज सचिव, मंत्रालय महानदी भवन की ओर सादर सूचनार्थ
2. विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग सह संचालक संस्थागत वित्त के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय महानदी भवन की ओर सादर सूचनार्थ
3. विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग सह संचालक बजट के निज सहायक, मंत्रालय महानदी भवन की ओर सादर सूचनार्थ
4. संचालक कोष एवं लेखा, इन्द्रावती भवन की ओर सादर सूचनार्थ
5. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी मंत्रालय महानदी भवन की ओर सादर सूचनार्थ
6. प्रोग्रामर, संचालनालय FMIS की ओर वित्त विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

  
(निखिल कुमार अग्रवाल)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग

